जिला अल्पसंख्य कल्याण अधिकारी, बिजनौर
जनसूचना अधिकारी के अन्तर्गत 16 बिन्दुओं पर सूचना

क्र. सं.	बिन्दु	बिन्दुवार सूचना
1.	अपने संगठन की विशिष्ठिया कृत्य और कर्तव्य	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा अल्पसंख्यक सामान्य जाति के छात्रों को शासन से निर्धारित दरों एवं शर्तो के अन्तर्गत सभी कक्षाओं में छात्रवृत्ति देकर शिक्षा ग्रहण करने में सहयोग प्रदान करना। डिग्री कालेजों में शुल्क वापसी योजना, मदरसा आधुनिकीकरण, अरबी फारसी मदरसों को मान्यता मदरसों में कक्षा 1 से 5 तक तहतानिया तथा कक्षा 6 से 8 तक फौकानिया स्तर की मान्यता, मदरसा मिनी आई0टी0आई0 योजना, लड़की की शादी अनुदान योजना, टर्मलोन योजना संचालित है। सम्बंधित आंकड़ों को संकलित कर सूचनाएं मासिक, त्रैमासिक एवं वार्षिक उच्चाधिकारियों को प्रेषित की जाती है।
2.	अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य	अधिकारी और कर्मचारी राज्य सरकार के अधीन कार्य करते है और राज्य सरकार के अधीन ही शासकीय कार्य सम्पन्न करते हैं।
3.	विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन किये जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व का माध्यम सम्मिलित है।	क्रम से निम्न अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यरत है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, वरिष्ठ लिपिक (सम्बद्ध विकास विभाग), जीप चालक (सम्बद्ध पशु पालन विभाग), 2 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत है। शासन द्वारा संचालित कार्यक्रम का संचालन/निरीक्षण/पर्यवेक्षण किया जाता है। कार्यालय विकास भवन, बिजनौर में स्थित है।
4.	अपने कृत्य के वहन के लिए स्वय द्वारा निर्धारित माप मान	जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी नियंत्रण अधिकारी का पद सृजित है जिनके नियंत्रण में सभी विभागीय कर्मचारी शासकीय कार्य सम्पन्न करते है।
5.	अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख।	जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, वरिष्ठ लिपिक तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत है जिनके द्वारा शासनादेश एवं पूर्व घोषित नियमावली के अनुसार कार्य करते हुए अभिलेख सुरक्षित रखे जाते है।
6.	ऐसे दस्तावेजों की श्रेणी का विवरण जो उनके द्वारा धारित किये गये है अथवा उनके नियंत्रण में है।	शासन द्वारा प्रदत्त अभिलेख पूर्ण कर सुरक्षित रखे जाते है। नियमानुसार अवलोकन एवं कार्यवाही प्रस्तावित की जाती है।
7.	किसी व्यवस्था का विवरण जिनमें उनकी नीति निर्माण अथवा उसके कार्यन्वयन के सम्बंध में लोक सदस्यों के साथ परामर्श या उनके साथ अभ्यावेदन के लिए विद्यमान हैं।	निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण विभागाध्यक्ष है जिनके निर्देशन में तथा जिला स्तर पर जिलाधिकारी के निर्देशन में कार्य किये जाते है। शादी योजना में मान्य सांसदों/विधायकों की समिति जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित है। समिति के परामर्श/अनुमोदन के उपरान्त ही सहायता प्रदान की जाती है।
8.	बोर्ड, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिनमें दो अथवा दो से अधिक व्यक्ति हो और जिसकी स्थापना इसके भाग के रूप में अथवा इसकी सलाह के प्रयोजनके लिए की गयी हो और यह विवरण कि क्या इन बोर्डो, परिषदों, समितियों तथा अन्य निकायों की बैठक लोगों के लिए खुली है अथवा ऐसी बैठक के कार्यवृत लोगों के लिए सुलभ है।	जिला प्रशासन की बैठक में शासन की मंशा के अनुरूप समस्त जनप्रतिनिधियों की राय सुझाव लिये जाते है तदानुसार अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के कार्यक्रम का संचालन किया जाता है।

9.	अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका	राज्य सरकार के नियंत्रण में कार्यवाही सुनिश्चित है तथा शासन के निर्देशों का पालन करते हैं।
10.	अपने प्रत्येक अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसमें उसके विनियमों में तथा उपबन्धित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित हो।	अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन आदि की सूचना निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण उ0प्र0 लखनऊ को प्रेषित की जाती है।
11.	सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये संवितरणों पर रिपोर्टो की विशिश्टियां उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट।	जिला योजना, राज्य योजना का योजनागत, आयोजनेत्तर पक्ष में विभाग से आवंटित किया जाता है जिसके व्यय की सूचना विभाग को प्रेषित की जाती है।
12.	सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रिति जिसमें आवंटित राशि औरऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों के ब्योरें सम्मिलित है।	विभागीय योजनाओं के अन्तर्गत जिन लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाता है उनके अभिलेख कार्यालय में सुरक्षित रखे जाते है।
13.	अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्ति कर्ताओं की विशिष्ठियां।	विभागीय योजनाओं का प्रचार प्रसार प्रिन्ट मीडिया/विकास खण्ड स्तर पर होने वाली बैठकों में किया जाता है।
14.	किसी इलैक्ट्रोनिक रूप में सूचना के सम्बंध में ब्यौरे जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हो।	वर्ष 2007–08 से छात्रवृत्ति की सूचना इन्टरनेट पर उपलब्ध है। और आवश्यकतानुसार प्रिन्ट मीडिया से प्रचार प्रसार कराया जाता है।
15.	सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सूचनाओं की विशिष्ठियां, जिसमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो, कार्यकरण घन्टे सम्मिलित है।	ऐसी कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है।
16.	जनसूचना अधिकारियों के नाम, पद नाम व अन्य विशिष्ठियां।	जनसूचना अधिकारी एस0जे0आर0 नक़वी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, बिजनौर एवं निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण अपीलीय प्राधिकारी (अपीलेन्ट) नामित किया गया है।

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी
बिजनौर